न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

ल संख्या : 14/169

1. आरिफ आत्मज मरहूम खलीलुर्रहमान जाति मुसलमान ।
2. आशिफ आत्मज मरहूम खलीलुर्रहमान जाति मुसलमान ।
3. साकिफ आत्मज मरहूम खलीलुर्रहमान जाति मुसलमान ।
4. मोबिना बैगम बेवा खलीलुर्रहमान जाति मुसलमान निवासीगण ग्राम खीमच तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री रविन्द्र खण्डेलवाल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रामबाबू मालव, राजकीय अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

दिनांक: 24.04.2018

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.04.2014 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि जिला कलक्टर कोटा ने अपने आदेश दिनांक 26.08.1981 के द्वारा ग्राम असकली तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 285/1 गै0मु0 सिवायचक रकबा एक एकड (वर्तमान खसरा नम्बर 367 रकबा 0.24 हैक्टर) उद्योग हेतु सेट—अपार्ट कर राजस्थान भू—राजस्व (औद्योगिक क्षेत्र आवंटन) नियम 1959 के अन्तर्गत खलीलूर्रहमान जाति मुसलमान को आवंटित करने का आदेश पारित किया ।

3. आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं करने तथा राजस्थान भू—राजस्व (औद्योगिक क्षेत्र आवंटन) नियम 1959 का उल्लंघन करने से अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा ने अपने आदेश दिनांक 23.04.2014 के द्वारा आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश निरस्त करते हुए उक्त आराजी कब्जेराज लिये जाने तथा सिवायचक खाता सरकार दर्ज करने का आदेश पारित किया ।

से व्यथित होकर
अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.04.2014
अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं
अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त करने का निवेदन किया ।

5. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन
किया कि वादग्रस्त आराजी का आवंटन उद्योग हेतु प्रार्थी के पिता खलीलूर्रहमान को किया
जिनकी मृत्यु दिनांक 18.08.1998 को हो चुकी है । उनकी मृत्यु के बाद उक्त भूमि पर
प्रार्थीगण पोलिस फेक्ट्री लगाकर उद्योग संचालित करते चले आ रहे हैं । अधीनस्थ न्यायालय
द्वारा पारित आदेश से अपीलान्ट के हित प्रभावित हुए हैं । अतः अपीलान्ट को प्रस्तुत प्रकरण में
अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई ।
उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया
और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के पिता को दिनांक 26.08.81 के
द्वारा वादग्रस्त आराजी उद्योग हेतु सेट–अपार्ट की गई थी । अपीलान्ट के पिता का अचानक
दिनांक 18.08.98 को देहान्त हो गया ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को उक्त आवंटित भूमि की
बकाया कीमत, लज रेन्ट व लीज–डीड निष्पादन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी इस
कारण उक्त भूमि की बकाया कीमत लीज रेन्ट जमा नहीं करवाया जा सका था । अपीलान्ट के
पिता की मृत्यु के पश्चात् अपीलान्ट को उक्त आंवटित भूमि की बकाया कीमत व लीज रेन्ट
जमा करवाने एवं लीज–डीड निष्पादित जारी करवाने बाबत् कोई भी नोटिस जारी नहीं किया
और न ही कभी कोई जानकारी दी । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सूचना
एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो
त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट उद्योग संचालित कर रखा है।
अपीलान्ट द्वारा आवंटन नियमों की पालना की जा रही है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार
फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.04.2014 निरस्त फरमाया
जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि जिला कलक्टर
कोटा ने अपने आदेश दिनांक 26.08.1981 के द्वारा ग्राम असकली तहसील रामगंजमण्डी जिला
कोटा की आराजी खसरा नम्बर 285/1 गै0मु0 सिवायचक रकबा एक एकड (वर्तमान खसरा
नम्बर 367 रकबा 0.24 हैक्टर) उद्योग हेतु सेट–अपार्ट कर राजस्थान भू–राजस्व (औद्योगिक
क्षेत्र आवंटन) नियम 1959 के अन्तर्गत खलीलूर्रहमान जाति मुसलमान को आवंटित करने का
आदेश पारित किया । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं करने तथा राजस्थान
भू–राजस्व (औद्योगिक क्षेत्र आवंटन) नियम 1959 का उल्लंघन करने से अधीनस्थ न्यायालय
जिला कलक्टर, कोटा ने अपने आदेश दिनांक 23.04.2014 के द्वारा आवंटी के पक्ष में किया
गया आवंटन आदेश निरस्त करते हुए उक्त आराजी कब्जेराज लिये जाने तथा सिवायचक
खाता सरकार दर्ज करने का आदेश पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक नहीं की
है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय
दिनांक 23.04.2014 बहाल रखा जावे ।

हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया । जिला कलक्टर कोटा ने अपने आदेश दिनांक 26.08.1981 के द्वारा ग्राम असकली तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 285/1 गै0मु0 सिवायचक रकबा एक एकड (वर्तमान खसरा नम्बर 367 रकबा 0.24 हैक्टर) उद्योग हेतु सेट–अपार्ट कर राजस्थान भू–राजस्व (औद्योगिक क्षेत्र आवंटन) नियम 1959 के अन्तर्गत खलीलूर्रहमान जाति मुसलमान को आवंटित करने का आदेश पारित किया ।

10. आवंटन के पश्चात् अपीलान्ट के पिता का दिनांक 18.08.98 को देहान्त हो गया । अपीलान्ट के पिता की मृत्यु के पश्चात् अपीलान्ट को उक्त आंवटित भूमि की बकाया कीमत व लीज रेन्ट जमा करवाने एवं लीज–डीड निष्पादित जारी करवाने बाबत् कोई भी नोटिस जारी नहीं किया और न ही कभी कोई जानकारी दी । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सूचना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.04.2014 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 25.06.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 24.04.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा